न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 332/2013

रामनारायण पुत्र सुजाराम जाति जाट, निवासीः ग्राम गोपालनगर तन लदाना, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, जयपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर वाद संख्या 415/2008 उनवानी रामनारायण बनाम सरकार अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 24/12/2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर के वाद संख्या 415/2008 बउनवानी रामनारायण बनाम सरकार में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 22.01.2013 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खतौनी संख्या 1 के खसरा नंबर 1596 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा ग्राम तन लदाना तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिस पर वादी अपने पूर्वजों के समय से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजीयात अर्से दराज से अर्थात अपने पूर्वजों के समय से वादी के कब्जे में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व वादी के पूर्वज एवं तत्पश्चात् वादी उपरोक्त भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि की प्राकृतिक पैदावार पाला घास चारा पेड इत्यादि को सदैव से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेता आ रहा है उक्त आराजी में संवत् 2057 में टीडसी एवं बाजरा की एवं संवत् 2058 में मूंग की फसल काश्त की थी एवं इस वर्ष बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर वादी अपने पूर्वजो के समय से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी के आस पास वादी की खातेदारी एवं कब्जे की अन्य भूमि है लेकिन वरवक्त सेटलमेन्ट से उपरोक्त भूमि का पर्चा वादी के नाम न आकर गै.मु. रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

दर्ज हो गई जो कतई गलत था जबकि वादी अपने पूर्वजो के समय से शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी अपने पूर्वजो के समय से शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी का एवं उसके पूर्वजो का अर्से पूर्व शातिपूर्वक बिना विध्न बाधा लगातार कब्जा चला आने से भी वादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 (4) के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजी गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी हो रही है एवं प्रतिवादी भी आये दिन वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते है। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि वादी विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1596 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है जो काबिले दुरूस्ती है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं स्वयं करे, न ही अपने किसी एजेन्ट/सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 22.01.2013 को गै.मु. रास्ते की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं होने से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से आराजीयात की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की गई है। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात पर अर्से दराज से काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार महोदय द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया गया था कि खसरा नंबर 1596 रकबा 6 बीघा 14 गै.मु. रास्ता दर्ज है लेकिन रास्ते के रूप में उक्त खसरा में से केवल 1 बीघा 7 बिस्वा ही काम में आती है जिसके खसरा नंबर 1596/1 बना है। इस सडक की चौडाई 25 मीटर है शेष भूमि 5 बीघा 7 बिस्वा रास्ते के काम नहीं आ रही है जिसकी घोषणा करने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का क्षेत्राधिकार नहीं होने का आधार बताकर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में महान कानूनी त्रुटि की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.01.2013 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजीयात की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है एवं मौके पर रास्ता चालू है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जिससे वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में अपीलान्ट्स या उनके पूर्वजो के नाम खातेदारी में दर्ज रही हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार अधिनस्थ न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी वाद सही खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.01.2013 के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात की किस्म गै.मु. रास्ता होने एवं गै.मु. रास्ते की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं होने से वादी का वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि आराजी खसरा नंबर 1596 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है जिसके हाल नंबर 1596/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा गै.मु. सडक के रूप में एवं खसरा नंबर 1596/2 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी/अपीलान्ट द्वारा खसरा नंबर 1596/2 में काफी समय से काश्त किये जाने के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जवाबदावा में वादी के तथ्यों का विनिर्दिष्ट रूप से खंडन करते हुये कथन किया है कि खसरा नंबर 1596 गै.मु. रास्ते पर वादी/अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जिस पर से उसे नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करा दिया गया है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोगी कार्य के लिये प्राप्त या धारण की गई भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्यभूत नहीं हो सकते। अतः गै.मु. रास्ते की भूमि सावर्जनिक प्रयोजन की भूमि होने के कारण वादी/अपीलान्ट किसी भी प्रकार की खातेदारी की घोषणा करवाने के हक अधिकारी नहीं पाये जाते है। उपरोक्त विवचेन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फागी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner